न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/221

1. भंवरलाल आत्मज रामनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. हेमराज आत्मज रामनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अपीलांटगण

बनाम

1. कार्यालय ग्राम पंचायत बामनगांव जर्ये सरपंच ग्राम पं0 बामनगांव
2. कार्यालय ग्राम पंचायत बामनगांव जर्ये सचिव ग्राम पंचायत बामनगांव
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 09.12.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 300/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम बामनगांव तहसील नैनवाँ जिला बून्दी मे खसरा संख्या 2506 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2508 रकबा 0.0485 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज कृषक चले आ रहे है जिसमे इस वर्ष स्यालू मे उड़द, सोयाबीन, मक्का की फसल बोई है। उन्दालू में गैहूं, सरसो की फसल बो रखी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का एक मात्र अर्वाचिन (आटू) रास्ता बामनगांव से सोमपुरा जाने वाले राजस्व रिकार्ड का रास्ता खसरा संख्या 2532 से पश्चिमी

ओर फटकर खसरा संख्या 2508 में जाता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से बता रखा है यह रास्ता 30 फीट चौड़ा है जिस पर होकर ही प्रार्थीगण पीढीयों से आवागमन कर रहे है एवं कृषि कार्य हेतु हल कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यंत्र व फसल, जानवर लाते ले जाते रहे है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे पहुंचने का नही है। प्रार्थीगण के खेत में दक्षिणी ओर खाल है। खसरा संख्या 2530 सिवायचक भूमि है जिसमे राजपूत समाज की छतरी बनी हुई है। प्रार्थीगण के खेत में उत्तर व पश्चिम मे नाला व अन्य खातेदारो की भूमियां है जिधर होकर कभी भी रास्ता नही रहा है। खसरा संख्या 2531 वर्तमान में आबादी विस्तार गै. मु. आबादी मे आरक्षित है जो ग्राम पंचायत बामनगांव के अधीन है। गत सप्ताह से प्रत्यार्थीगण विवादित रास्ते को नष्ट भ्रष्ट कर निर्माण कर बैचान करने पर आमादा है और प्रार्थीगण के रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते है और इस सम्बन्ध मे धमकियां दे रहे है। यदि परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया तो प्रार्थीगण के खेत में पहुंचने का कोई रास्ता नही रहेगा, भूमि अनुपयोगी हो जावेगी, फसल नहीं हो सकेगी, जिससे प्रार्थीगण को महान व अपूरणीय क्षति होगी जिसका नकद के रूप मे मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। प्रार्थीगण लाल स्याही से वर्णित रास्ते की भूमि को रास्ता घोषित करने में जितनी भी भूमि आती है उसका युक्तियुक्त प्रतिकर भी अदा करने को तैयार है ताकि भविष्य में विवाद नहीं हो। प्रार्थीगण ने प्रत्यार्थीगण को रास्ता घोषित करने के लिए 2 माह का नोटिस दिनांक 24.08.2023 को दिया गया जो प्रत्यार्थीगण को दिनांक 01.09.2023 व दिनांक 31.08.2023 को प्राप्त हो गया जिसका न तो प्रत्यार्थीगण ने कोई जवाब दिया न ही रास्ता प्रार्थीगण को दिया गया। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता परिशिष्ट "अ" को 30 फीट चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 किसी प्रकार से हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये। यदि प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने से रोका तो प्रार्थीगण को महान व अपूरणीय क्षति होगी जिसका नकद के रूप में मूल्यांकन नही हो सकेगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं प्रत्यार्थीगण । लगायत 2 के विपक्ष में निम्न आशय की डिक्री प्रदान करें:–(1) यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में जो 30 फीट चौडे रास्ते को परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से वर्णित रास्ते को राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जाये एवं प्रत्यार्थीगण । लगायत 2 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने के रास्ता मे कोई अवरोध न तो स्वयं पैदा करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये। विकल्प मे निवेदन है कि यदि दौराने प्रार्थना पत्र प्रत्यार्थीगण परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही के रास्ते को नष्ट भ्रष्ट कर देते है तो स्वयं के खर्चे से वापस रास्ता कायम करें। (2). यह कि प्रार्थना पत्र व्यय प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण से दिलवाया जावें। (3) अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यो व दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियमों को व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियमो को अनदेखा करते हुऐ निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जबकि मौका रिपोर्ट दोनो पक्षो की उपस्थिति में तहसीलदार साहब द्वारा मौका देखकर जाकर रिपोर्ट प्रेषित की जानी होती है, अधीनस्थ न्यायालयने इस महत्वूपर्ण विधि के सारभूत तथ्य को नजर अदाज करते हुए विधि के विरूद्ध निर्णय पारित किया है. जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जबकि कृषि कार्य के लिए आने–जाने वास्ते रास्ते का होना अति आवश्यक है। रास्ते के अभाव में कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। अधीनस्थ न्यायालय तारीख पेशी से पूर्व ही पत्रावली को तलब कर निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधि के अवहेलना है, पक्षकारो को किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नही किये, न ही सुनवाई का अवसर दिया, मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का भी पूर्णतया उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2–5–2025 तारीख पेशी नियत थी, उसके बाद दिनांक 09–06–2025 तारीख दी हुई थी, जबकि पत्रावली दिनांक 27–05–2025 को ही निर्णित कर दिया, जबकि इस तरह से निर्णय पारित करने का विधि में कोई प्रावधान नही है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2531 जो गैरमुमकिन आबादी की भूमि है, जो ग्राम पंचायत के

खाते दर्ज है, जहां पर प्रार्थी शुरू से ही आ जा रहा है, उक्त खसरा नम्बर के सहारे सहारे अपने खाते पर आने के लिए रास्ता चाहा था, जो खसरा नम्बर 2532 से मिला हुआ है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि है, जो प्रार्थी के गांव से खेत पर आने–जाने में काम आती है. अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्य पर गोर कर सरसरी तौर पर पटवारी की रिपोर्ट को महत्व देते हुए बिना सुने ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 28–05–2025 को होने पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी नकल दिनांक 12–06–2025 को अपीलाण्ट प्रार्थी को दी गयी. नकल मिलने के दिन गुजरा करने पर अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–05–2025 को निरस्त किए जाने तथा अपीलांटगण को प्रार्थना–पत्र की याचना अनुसार रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करे किए जाने एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी प्रदान फरमाने की कृपा करे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार नैनवां द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2025 को विधिवत रूप से तैयार करवाई जाकर अपने पत्र कमांक 754 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त मोका पर्चा में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.03.2025 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। दिनांक 26. 03.2025 को उक्त मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित हुए। मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने की दिनांक 26.03.2025 को स्वयं अपीलांट मोके पर उपस्थित हुए परन्तु अपीलांट ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसका अंकन मोका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2021 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा मोका रिपोर्ट पर की गई आपत्तियों का विधिवत् रूप से निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से तैयार करवाई गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

27.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से स्वयं के खाते की खसरा संख्या 2506 व खसरा सख्या 2508 में आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी खसरा संख्या 2530 व खसरा सख्या 2531 की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। प्रश्नगत खसरा सख्या 2531 रकबा 0.4773 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन भूमि जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2069 के अनुसार ग्राम पंचायत बामनगांव आबादी विस्तार हेतु दर्ज रिकॉर्ड है तथा संख्या 2530 रकबा 0.0485 किस्म बंजड़ भूमि ग्राम बामनगावं तहसील नैनवां की खाता संख्या 1 में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जो पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.05.2025 को तैयार की जाकर कार्यालय तहसीलदार नैनवां के पत्रांक 754 दिनांक 23.05.2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का कानूनन यह उत्तरदायित्व था कि वह विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवाने के उपरांत उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बिना ही प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.टी.एक्ट. खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 27.05.2025 में अंकित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 300/2023(gcms no. 2023/470) में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा